



तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

जिसकी प्रतीति छिपी की तरह संकेत  
 नहीं लेना एवं प्रतीति - यह लो (प्राइमि) सिद्धि  
 धारता के पाठ्य कागज का निवेदन किया  
 विद्वान् कथितकर। कि वही पत्रावली के  
 प्रस्तावकों को साक्षित नहीं करना जाही है।  
 जैसापण विनयित जातरी का खोलेगा  
 कारणवत् है सापलान को जैसापलान के  
 विम तरह से उक्तान व क्षति हो रही है  
 साक्षित नहीं किया। यदि जैसापलान को  
 पाठ्य का रिकार्ड जमा हो अपा एमि  
 व अड्डिया जैसापलान को होगा किमक  
 है सापलान अपनी जानना - पर म-प्रा  
 को साक्षित करने असल है ही प्रथम इच्छा  
 केस व उडिया का समुलन ले - म प्रति धीरे  
 काली क्षति ~~के~~ सापलान के पत्र के मक्षि  
 ना होकर जैसापलान के पत्र के साक्षित है।  
 अतः सापलान को जानना - पर अंधाप  
 म-प्रा साक्षित ना होने के कारण  
 अक्षीका का खोलेगा किया जाता है पत्रावली  
 प्रकैसल युगा धीरे इति म्बु के कक धेम  
 सुलपाड के साथ लिखित (8) हुक्म

20/11/20  
 S.M.